संख्या-6/2015/453एस0सी0/18-2-2015-78/11

प्रेषक,

सुबोध कुमार श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0,
लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 31 जुलाई, 2015

विषय:- उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 के समूह-घ के कर्मचारियों को ग्रेड पे रू0 1400 के स्थान पर रू0 1800 दिनांक 22.12.11 से अनुमन्य किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं0-384/यू0पी0एफ0/लेखा-2014-15 दिनांक 02.02.15 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 के समूह-घ के कर्मचारियों को ग्रेड पे रू0 1400 के स्थान पर रू0 1800 दिनांक 22.12.11 से अनुमन्य किए जाने के उपरान्त 11 माह का एरियर के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-1906एस0सी0/18-2-2011-78/11 दिनांक 22.12.2011 एवं संशोधित शासनादेश सं0-1336एस0सी0/18-2-2012-78/11 दिनांक 13.12.2012 द्वारा उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 द्वारा नियुक्त कार्मिकों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में गठित वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा अन्य भत्ते एवं सुविधाओं को लागू किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अत: दिनांक 13 दिसम्बर 2012 के स्थान पर दिनांक 22 दिसम्बर 2011 से पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान रू0 2610-3540 (वर्तमान वेतनमान रू0 4440-7440) के लिए ग्रेड वेतन रू0 1400/- के स्थान पर वेतन बैण्ड रू0 5200-20200 तथा ग्रेड वेतन रू0 1800/- परिकल्पित आधार पर दिनांक 01.01.06 से आगणित करते हुए तथा उसका वास्तविक लाभ दि0 22.12.11 से अनुमन्य किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि उक्त लाभ उन्हीं कार्मिकों को प्राप्त होगा जो उक्त अवधि में कार्यरत रहें हों। इस हेतु कोई भी वित्तीय सहायता किसी भी रूप में वर्तमान अथवा भविष्य में राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। शेष शर्तें उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार यथावत लागू होंगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशासकीय संख्या-ई-6-359/दस-2015 दिनांक 27 जुलाई, 2015 द्वारा प्रदान की गयी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-6/2015/453(1)एस0सी0/18-2-2015-तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- गन्ना आयुक्त/निबन्धक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल समितियाँ, लखनऊ।
2- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, लखनऊ।
4- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
5- चीनी उद्योग अनुभाग-1/3
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in